

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक—931/2012
 संस्थित दिनांक—20.11.2012
 फाईलिंग क.234503001342012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1—काशीराम पिता नैनसिंह धुर्वे, उम्र—32 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी—ग्राम हीरापुर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—जीवन पिता मेहताब मरकाम, उम्र—30 वर्ष, जाति गोंड
 निवासी—ग्राम हीरापुर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—ब्रजलाल पिता देवसिंह मरकाम, उम्र—36 वर्ष, जाति गोंड
 निवासी—ग्राम हीरापुर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

4—रामचरण पिता बन्टुसिंह उइके, उम्र—25 वर्ष, जाति गोंड
 निवासी—ग्राम हीरापुर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

5—रमतीबाई पति रामू सिंह धुर्वे, उम्र—55 वर्ष, जाति गोंड
 निवासी—ग्राम हीरापुर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

6—विनोद पिता सुमनसिंह मड़ावी, उम्र—38 वर्ष, जाति गोंड
 निवासी—ग्राम हीरापुर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

7—तीरजलाल पिता देवसिंह मरकाम, उम्र—33 वर्ष, जाति गोंड
 निवासी—ग्राम हीरापुर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

8—जागेश पिता अमरसिंह मड़ावी, उम्र—30 वर्ष, जाति गोंड
 निवासी—ग्राम हीरापुर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-23/7/2015 को घोषित)

1— आरोपी रामचरण, जागेश, जीवन, काशीराम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 506 (भाग-2) के अंतर्गत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक-27.04.2012 को रात्रि 8:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम हीरापुर लोकस्थान पर फरियादी रघुवीर सिंह एवं मीराबाई को निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित कर जान से मारने की धमकी दिया तथा सभी आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34 (दो बार) के अंतर्गत यह आरोप है कि उन्होंने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी मीराबाई एवं रघुवीर को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित कर अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर आहत मीराबाई एवं रघुवीर को मारपीट करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में उक्त आहतगण को लकड़ी एवं हाथ-मुक्कों से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-27.04.2012 को रात्रि 8:00 बजे ग्राम में कच्ची शराब निकालकर बेचने के संबंध में गांधी चौक हीरापुर में मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में समस्त ग्रामीण जन उपस्थित थे। मीटिंग में कच्ची शराब बनाने और बेचने के लिए ग्राम के लोगों को मीराबाई द्वारा मना किया गया और लोगो को समझाईश दी जा रही थी, तभी आरोपी रमतीबाई धुर्वे, तीरजलाल मरकाम, ब्रजलाल मरकाम, विनोद मड़ावी उठे और मीराबाई को शराब बनाने और बेचने से मना करने वाली तू कौन होती है कहकर मों-बहन की अश्लील गालियां देने लगे और आरोपी रमतीबाई ने हाथ में रखी लकड़ी लेकर मीराबाई के मस्तक में मार दी जिससे मस्तक में चोट आई तथा आरोपी तीरजलाल मरकाम, ब्रजलाल मरकाम, विनोद मड़ावी द्वारा हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे, तब मीटिंग में बैठे लोगो द्वारा झगड़े का बीच-बचाव किया तो झगड़ा शांत हो गया। कुछ देर बाद वह मीराबाई को चोट आने से वह सुशीलाबाई के साथ मीराबाई को लेकर गांधी चौक से रिपोर्ट करने थाना बैहर आ रहे थे तो ईश्वर मड़ावी के घर के पास रास्ते में आरोपी रमतीबाई के साथ शराब बेचने वाले रिश्तेदार काशीराम धुर्वे, जीवनलाल मरकाम, जागेश मरावी, रामचरण उड़के ने उन्हें रोककर बोला कि तुम शराब बेचने एवं पीने में बंदीश लगाते हो कहकर

माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां दिए और आरोपी काशीराम ने लकड़ी से उसके सिर में एवं जीवनलाल मरकाम, जागेश मरावी, रामचरण उइके ने हाथ-मुक्कों से मारपीट किये, जिससे उसे सिर में चोट आई थी। उसके द्वारा बीच-बचाव के लिए चिल्लाने पर विकास मरकाम, नंदलाल कौसले, जयपाल मरावी, अनिता धुर्वे, इंदिरा धुर्वे, सुशीला सुरनकर और भी गांव के लोगों ने बीच-बचाव किये तो उक्त चारो आरोपी वहां से चले गए और जाते-जाते कहने लगे की अगर तुमने थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर डालेंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी रघुवीर सिंह ने थाना बैहर में आरोपीगण के विरुद्ध की, जिस पर पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-62/10, धारा-294, 323, 341, 506, 34 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 294, 323/34, 506 (भाग-दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी रामचरण, जागेश, जीवन, काशीराम ने दिनांक-27.04.2012 को रात्रि 8:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम हीरापुर लोकस्थान पर फरियादी रघुवीरसिंह एवं मीराबाई को निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?
2. क्या आरोपी रामचरण, जागेश, जीवन, काशीराम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रघुवीरसिंह एवं मीराबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रघुवीरसिंह एवं मीराबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने

वालो को क्षोभ कारित किया ?

4. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर आहत मीराबाई एवं रघुवीर को मारपीट करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत मीराबाई एवं रघुवीर को लकड़ी व हाथ-मुक्को से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत मीराबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह सभी आरोपीगण को पहचानती है। घटना रात 10:00 बजे की है, उस समय गांव के लोगों के बीच बैठक रखी गई थी, तो वहां पर शराब बेचने को लेकर विवाद हो गया था। उसे गांव वाले और आरोपीगण ने लकड़ी व हाथ-मुक्कों से मारपीट किये थे, इसके अलावा रघुवीर को भी मारपीट किये थे, उसके बाद पुलिस थाने में जाकर आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाए थे, पुलिस ने उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि घटना के समय विवाद बढ़ जाने से लोगों के बीच लामा-झूमी हुई थी और इस कारण वह मंच से गिर गई थी, जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे तथा रघुवीर को किसी ने गाली नहीं दिया और न ही जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार साक्षी ने अपने कथन में आरोपीगण के विरुद्ध मात्र उसे मारपीट किये जाने के तथ्य का ही समर्थन किया है।

6— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि आहत मीराबाई (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में उसे मंच से गिर जाने के कारण चोट आना स्वीकार किया है। उक्त तर्क पर विचार किये जाने पर यह स्पष्ट है कि आहत मीराबाई (अ.सा. 1) ने आरोपीगण के द्वारा मारपीट किये जाने के मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं, जिसे बचाव पक्ष ने प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दिया है, ऐसी दशा में यदि आहत मीराबाई का मंच पर गिरने से चोट आने की स्वीकारोक्ति के कथन से यह आशय निकाला जा सकता है कि आरोपीगण के द्वारा मारपीट करने के अलावा उसे मंच से गिरने से भी चोट आई थी।

7— आहत मीराबाई को आई चोट का परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ एन.एस. कुमारे (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि थाना बैहर के आरक्षक के द्वारा आहत मीराबाई की चोटों का परीक्षण करने हेतु पेश करने पर उक्त आहत के

शरीर में साधारण प्रकृति की चोट पाई गई थी, जो जांच के 8 घंटे के भीतर की थी। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार उक्त चिकित्सीय साक्षी ने भी आहत मीराबाई को घटना के समय साधारण उपहति कारित होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

8— आहत रघुवीर (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह सभी आरोपीगण को पहचानता है। घटना के समय शराब बंदी के उपर गांव में मीटिंग रखी गई थी। उक्त मीटिंग में विवाद होने पर रामबतीबाई ने मीराबाई को लाठी से उसके सिर में मार दिया था, जिससे उसे चोट आई थी। उसके बाद शराब बनाने वालों ने मीराबाई को पकड़ लिया था तो वह उसे बचाने के लिए गया, तो आरोपी काशीराम ने उसे लठ से सिर पर मार दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई, उसका बैहर अस्पताल में ईलाज हुआ था, जहां पुलिसवालों ने उससे पूछताछ किया था। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया था। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लेख कराया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मीटिंग में विवाद होने पर तथा मीटिंग खत्म होने के बाद वह अपने घर चला गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने किसने मारा उसने नहीं देखा, वह उसका नाम नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसे किस कारण से चोट आई, वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने फरियादी के रूप में लेख कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कराया जाना तो बताया है, किन्तु उसकी रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप अपने मुख्यपरीक्षण में उसे आई चोटों के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं की है।

10— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि फरियादी की लेख कराई गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के अनुसार आरोपीगण के द्वारा मीराबाई को मीटिंग में मारपीट किये जाने के समय रघुवीर को मारपीट किया जाना तथा उसके द्वारा बीच-बचाव किया जाना लेख नहीं है तथा मीराबाई को मारपीट के पश्चात् वह उसे लेकर रिपोर्ट करने बैहर आ रहा था, तो रास्ते में काशीराम ने लकड़ी से सिर में मारने की बात लेख कराई है, जबकि न्यायालयीन साक्ष्य में फरियादी रघुवीर (अ.सा.2) ने उक्त तथ्य से हटकर यह कथन करते हुए यह बताया है कि उसे किसने मारा वह नहीं

बता सकता। इस प्रकार साक्षी के कथन से उसे आई चोटों के लिए आरोपीगण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बचाव पक्ष के उक्त तर्क पर विचार करते हुए साक्षी रघुवीर (अ.सा.2) के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि घटना के समय उसके साथ मारपीट नहीं की गई या उसे कोई चोट नहीं आई। वास्तव में रात्रि के समय 8 आरोपीगण के द्वारा आहत रघुवीर (अ.सा.2) को की गई मारपीट में किसके द्वारा उसे सिर पर मारकर उपहति कारित की गई, उसे जानकारी न होने की स्वीकारोक्ति के कारण उसके कथन पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उक्त साक्षी के कथन में महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं होने से घटना के कुछ समय पश्चात् ही तत्काल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया जाना उसकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती है।

11— आहत रघुवीर की चोटों का परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ एन.एस. कुमारे (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि थाना बैहर के आरक्षक के द्वारा आहत रघुवीर की चोटों का परीक्षण करने हेतु पेश करने पर उक्त आहत के शरीर में पीठ व सिर में साधारण प्रकृति की चोट पाई गई थी, जो जांच के 8 घंटे के भीतर की थी। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार उक्त चिकित्सीय साक्षी ने भी आहत रघुवीर को घटना के समय साधारण उपहति कारित होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

12— साक्षी रघुवीर (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण के द्वारा रास्ता रोक लिए जाने, कथित गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दिए जाने के तथ्य के संबंध में भी कोई कथन नहीं किये हैं।

13— अनिता (अ.सा.3), सुशीला (अ.सा.4) व इंद्राबाई (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि घटना की रात 7-8 बजे आरोपीगण ने आहत रघुवीर एवं मीराबाई को मीटिंग में मारपीट किये थे, जिससे उन्हें चोट आई थी। साक्षी अनिता (अ.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण में यह भी कथन किया है कि आहत रघुवीर को आरोपीगण ने चौक में मारे थे। उक्त सभी चक्षुदर्शी साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में उनके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है, जिस कारण उनके कथन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण ने भी अपनी साक्ष्य में आरोपीगण के द्वारा घटना के समय आहत

मीराबाई एवं रघुवीर को मारपीट कर उपहति कारित करने का समर्थन किया है। उक्त उपहति कारित किये जाने के अपराध के अलावा अन्य अपराध के संबंध में उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में कोई कथन नहीं किये हैं।

14— फरियादी रघुवीर घटना के कुछ समय पश्चात् ही तत्काल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है। आहतगण एवं अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण के कथन में महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है तथा सभी साक्षीगण ने एकमत होकर घटना के समय आरोपीगण के द्वारा शराब बंदी की मीटिंग में विवाद होने के पश्चात् आहत मीराबाई एवं रघुवीर को मारपीट किया जाना बताया है। उक्त तथ्य का खण्डन महत्वपूर्ण रूप से बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। आहतगण मीराबाई एवं रघुवीर को आई चोट की पुष्टि चिकित्सीय साक्षी डॉ. एन.एस. कुमारे (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में की है। इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा उक्त आहतगण को घटना के समय उपहति कारित किया जाना प्रमाणित होता है। आरोपीगण के द्वारा आहत मीराबाई को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में मारपीट कर उपहति किए जाने के समय निश्चित ही आरोपीगण जानते थे कि उनके कृत्य से आहत मीराबाई को उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपीगण का उक्त कृत्य स्वेच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार आरोपी विनोद, ब्रजलाल, तीरजलाल व रमतीबाई के द्वारा आहत रघुवीर को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में मारपीट कर उपहति किए जाने के समय निश्चित ही आरोपीगण जानते थे कि उनके कृत्य से आहत रघुवीर को उपहति कारित होगी। इस प्रकार उक्त आरोपी का उक्त कृत्य आहत रघुवीर को स्वेच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है।

15— मीराबाई (अ.सा.1) एवं रघुवीर (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में सभी आरोपीगण के द्वारा उन्हें मारपीट कर उपहति कारित किया जाना बताया है, जबकि आरोपी विनोद, ब्रजलाल, तीरजलाल व रमतीबाई के विरुद्ध आहत मीराबाई को ही उपहति कारित करने का आरोप है तथा आरोपी रामचरण, जागेश, जीवन व काशीराम के विरुद्ध आहत मीराबाई एवं रघुवीर दोनों को उपहति कारित करने का आरोप है। आहत मीराबाई को उपहति कारित करने में सभी आरोपीगण का सक्रिय क्रियान्वयन रहा है। इस कारण सभी आरोपीगण को आहत मीराबाई को उपहति करने हेतु जिम्मेदार ठहराया जाना उचित होगा, जबकि आहत रघुवीर को उपहति कारित करने में आरोपी विनोद, ब्रजलाल, तीरजलाल व रमतीबाई ही शामिल रहें हैं, जिन्हें आहत रघुवीर को

उपहति करने हेतु ठहराया जाना उचित होगा।

16— अनुसंधानकर्ता अधिकारी पूरन लिल्लारे (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक-28.04.12 को रघुवीरसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-62/2012, धारा-294, 323, 341, 506 बी, 34 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को विवेचना के दौरान मीराबाई की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान सभी साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी काशीराम से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 अनुसार एक लकड़ी जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी रामचरण, काशीराम, जीवन, ब्रजलाल को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 से लगायत प्रदर्श पी-9 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-30.04.2012 को आरोपी रमतीबाई से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-10 के अनुसार एक बांस की लकड़ी जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी रमतीबाई, विनोद, जागेश, तिरजलाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-11 से लगायत प्रदर्श पी-14 तैयार किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-11, 12, 14 पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-13 पर उसके नाम का उल्लेख है, किन्तु भूलवश गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-13 पर हस्ताक्षर करना भूल गया। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था।

17— उक्त साक्षी ने मामलों में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है, जिसका महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

18— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी मीराबाई व रघुवीर को अश्लील शब्द का उच्चारण कर क्षोभ कारित किया व उन्हें निश्चित दिशा में रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा उन्हें जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। परिणाम स्वरूप सभी आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 294, 506 भाग-2 के अपराध

के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

19— अभियोजन ने यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित किया है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सभी आरोपीगण ने आहत मीराबाई को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा पश्चात् में आरोपी रामचरण, जागेश, जीवन व काशीराम ने आहत रघुवीर को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलस्वरूप सभी आरोपीगण को आहत मीराबाई को स्वेच्छया उपहति हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के अंतर्गत तथा आरोपी रामचरण, जागेश, जीवन व काशीराम को आहत रघुवीर को स्वेच्छया उपहति हेतु 323/34 के अंतर्गत पृथक से दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

20— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

पश्चात्—

21— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

22— आरोपीगण के उक्त निवेदन को विचार में रखते हुए प्रकरण के अवलोकन के पश्चात् यह प्रकट होता है कि आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव सभी आरोपीगण को आहत मीराबाई को पहुंचाई गई चोट हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के अपराध के अंतर्गत 500/—(पाँच सौ रुपये) तथा आरोपी रामचरण, जागेश, जीवन व काशीराम को आहत रघुवीर को

पहुँचाई गई चोट हेतु पृथक से भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के अंतर्गत 500/-, 500/- (पाँच-पाँच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के अपराध के अंतर्गत एक-एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

23— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

24— मामले में आरोपी जागेश दिनांक-16.04.15 से दिनांक-17.04.15 तक अभिरक्षा में रहा है तथा शेष आरोपीगण की अभिरक्षा की अवधि निरंक है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

25— प्रकरण में जप्तशुदा दो बांस लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट